

मत्स्य निदेशालय बिहार के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में "मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना" हेतु

सहमति पत्र

योजना का नाम (कृपया सही विकल्प को ✓ करें)

मॉडल 01 "एक हेक्टर रकबा में दो तालाब का निर्माण" ☐

मॉडल 02 "एक हेक्टर रकबा में चार तालाब का निर्माण" ☐

मॉडल 03 " एक हेक्टर रकबा में एक तालाब का निर्माण एवं भूमि विकास " ☐

मैं श्री/श्रीमती, पिता/पति....., ग्राम.....

पोस्ट.....प्रखण्ड....., थाना....., जिला.....का

निवासी हूँ एवं सहमति पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:

- मैं मत्स्य उत्पादन का कार्य (जगह का नाम) करता/करती हूँ एवं जाति में आता/आती हूँ।
- योजनान्तर्गत प्राप्त सुविधा का उपयोग मेरे द्वारा प्राथमिकता के आधार पर समेकित मत्स्य के उत्पादन तथा कृषि/बागवानी/कृषि वानिकी के कार्य हेतु किया जाएगा।
- साथ ही क्रियान्वयन की तिथि से 08 वर्ष तक प्राप्त सुविधाओं का पूर्ण रूप से संचालन करेंगे।
- योजनान्तर्गत विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेश/सलाह का पालन करूँगा/करूँगी।
- मेरे द्वारा आवेदन में दी गयी सभी सूचना सही है एवं इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विभाग कोई अन्यथा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी।
- मैं योजनान्तर्गत इकाई लागत तथा अनुदान राशि के अंतर राशि का वहन स्वयं करूँगा/करूँगी।

ग्वाह:-

हस्ताक्षर

मत्स्य निदेशालय बिहार के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में "मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना" हेतु
शपथ पत्र (नोटरी)

योजना का नाम (कृपया सही विकल्प को ✓ करें)

मॉडल 01 "एक हेक्टर रकबा में दो तालाब का निर्माण" ☒

मॉडल 02 "एक हेक्टर रकबा में चार तालाब का निर्माण" ☒

मॉडल 03 " एक हेक्टर रकबा में एक तालाब का निर्माण एवं भूमि विकास " ☒

मैं श्री/श्रीमती.....पिता/पति.....
ग्राम.....पोस्ट.....प्रखण्ड..... थाना.....
जिला..... का निवासी हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:-

- मैं योजनान्तर्गत इकाई लागत तथा अनुदान राशि के अंतर राशि का वहन स्वयं करूँगा/करूँगी।
- मैं योजनान्तर्गत इकाई लागत से अधिक राशि के वहन होने पर अतिरिक्त राशि का वहन स्वयं करूँगा/करूँगी
- योजनान्तर्गत प्रथम किस्त अथवा द्वितीय किस्त अनुदान प्राप्त करने के पश्चात अगर मेरे द्वारा किन्हीं कारणों से योजना पूरी नहीं की जाती है तथा मत्स्य उत्पादन की अंतिम आंकड़ा, पूंजी आदि कार्यालय में समर्पित नहीं की जाती है तो उस परिस्थिति में मेरे द्वारा प्राप्त अनुदान की राशि वापस की जाएगी अन्यथा राशि की वसुली हेतु विभाग द्वारा मेरे विरुद्ध नीलाम पत्र, वाद दायर किया जाएगा। साथ ही मुझे काली सूची में डाल दिया जाएगा एवं किसी भी विभागीय योजना का लाभ देय नहीं होगा।
- मेरे द्वारा मत्स्य उत्पादन/मत्स्य बीज का कार्य सरकारी/निजी/पट्टा पर ली गयी तालाब में किया जा रहा है एवं तालाब/भूमि विवाद रहित है।
- योजनान्तर्गत विभाग द्वारा समय पर जारी अनुदेश/सलाह का पालन करूँगा/करूँगी।
- मेरे द्वारा आवेदन के माध्यम से प्रदान की गयी सभी सूचना सही हैं एवं इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विभाग कोई अन्यथा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी।

गवाह:-

हस्ताक्षर